न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 204/2020

सुदामा सिंह वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

तेज नारायण यादव वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

17.02.2023 उभय पक्षों की हाजिरी है। आज अभिलेख अंचलाधिकारी, ब्रहम्पुर द्वारा दाखिल इन्टरभेनर आवेदन दिनांक–09.05.2022 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी0 पी0 सी0 पर आदेश हेतु नियत है। उक्त आवेदन में बिहार सरकार के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता कहना है कि इस वाद के विवादित जमीन मौजा भदसारी, थाना ब्रहम्पुर जिला बक्सर पुराना खाता 422, पुराना खेसरा 862, रकवा 2 एकड़ 90 डी0 जिसका हाल प्लाट सं0 268, नया प्लाट सं0 1637, रकवा 5 डी0 भिंड खेसरा 1638, रकवा 2 एकड़ 64 डी0, प्लाट सं0 1647, रकवा 1 एकड़ 10 डी0 जो एराजी अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। उक्त एराजी प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के पूर्वज तुलसी सिंह के द्वारा मुकदमा सं0 **139/1967** सरकार के विरूद्ध दाखिल करके अपने पक्ष में बगैर सही तथ्य बताये निर्णय करा लिये हैं एवं उक्त निर्णय के आलोक में अंचल में भी अपने नाम से जमावंदी करा लिये हैं जो कि बिल्कुल तथ्यहिन है। असल तथ्य यह है कि उक्त जमीन आज भी अनावाद बिहार सरकार के नाम से है जिसके खतियान में किस्म जमीन पोखरा वगै0 दर्ज है जो बिहार सरकार के दखल कब्जा में है व चला आ रहा है। सर्वे के दौरान सरकार का दखल कब्जा पाकर सही खतियान तैयार किया गया है। विवादित जमीन कभी भी प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के पूर्वज तुलसी सिंह के दखल कब्जा में नहीं रहा है। इस आशय की जानकारी वर्तमान अंचलाधिकारी को हुई कि प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के पूर्वज द्वारा सरकार की जमीन का जाल फरेब किया गया है तब अंचलाधिकारी ने हल्का कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर पंजी 2 में संघारित एराजी को प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के पूर्वज के नाम से रद्द करने की कार्यवाही की गई तथा वरीय अधिकारी को भी इसकी सूचना दी गई। इस बीच पता चला कि आम लोगों द्वारा विवादित जमीन सम्बंधी प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के विरूद्ध मुकदमा दाखिल

लगातार
17.02.2023

किया गया है, जिसमें बिहार सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। इस वाद में वादी द्वारा बिहार सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः बिहार सरकार को इस वाद में पक्षकार बनाने की कृपा की जाये।

प्रतिवादी सं0 1,2 ,5, 9, 16 से 19, 21 एवं प्रतिवादी सं0 23 के द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक– 20.06.2022 को दाखिल कर निवेदन किये कि बिहार सरकार द्वारा दाखिल इन्टरभेनर कानूनतः पोषणीय नहीं है। बिहार सकरार द्वारा दिया गया तथ्य गलत वं असलियत के विरूद्ध है। बिहार सरकार को विवादित जमीन में कोई अभिरूची नहीं रह गया है। प्रतिवादीगण के पिता तुलसी यादव ने एक नम्बरी मुकदमा **139/1967** बिहार सरकार के विरूद्ध विद्वान मुन्सिफ, बक्सर के न्यायालय में पुराना खाता 422, पुराना प्लाट 862 रकवा 2 एकड़ 90 डी0 के निमित दाखिल किया गया था, जिसमें बयान तहरीरी दाखिल किये तथा इस केस को कन्टेस्ट भी किये जिसमें विवादक बिन्दु में यह भी था कि विवादित प्लाट पर वादी का हकीयत है तथा वादी के कब्जा को सम्पुष्ट किया जाये तथा वादी को कब्जा भी विवादित जमीन पर दिला दिया जाये। नम्बरी वाद **139/1967** में इस वाद के प्रतिवादी के पिता तुलसी यादव वादी थे, जिसमें वादी के पक्ष में निर्णय दिया गया तथा विवादित जमीन पर वादी का दखल कब्जा एवं हकीयत को माना गया । उक्त निर्णय दिनांक– 22.01.1979 को पारित हुआ था उक्त निर्णय के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा कोई अपील दाखिल नहीं किया गया। उक्त निर्णय अब अंतिम निर्णय हो चुका है। विवादित जमीन में अब बिहार सरकार का कोई हकीयत नहीं रहा है तथा विवादित जमीन कानूनतः प्रतिवादी की है। इस वाद में बिहार सरकार आवश्यक पक्षकार नहीं है तथा वादी के बहाकावे में आकर मुकदमा को विलम्ब करने के उद्देश्य से यह आवेदन दाखिल किया है। इस वाद के वादीगण ने बिहार सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं किया है। अतः इस आवेदन को खारिज कर दिया जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में यह अभिलेख प्रतिस्थापित एवं अन्य प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। वादी द्व ारा विवादित जमीन सम्बंधी हाल सर्वे खतियान जिसमें खाता सं0 259, प्लाट सं0 1637, 1638, 1647 जो विवादित जमीन से सम्बंधित है जो अनावाद बिहार सरकार के नाम रैयती कंडिका में दर्ज है तथा

लगातार
17.02.2023

जमीन का प्रकृति भिण्ड व पोखरा है। प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 22.01.1979 का निर्णय की छायाप्रति जो मुन्सिफ, बक्सर द्वारा पारित किया गया है, दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा अंचलाधिकारी ब्रहम्पुर का आदेश दिनांक– 05.05.1993 दाखिल किया गया है जिसमें इस वाद के प्रतिवादी के पक्ष में दाखिल खारिज करने का आदेश पारित किया गया है। साथ में इस वाद के प्रतिवादी द्वारा कई लगान रसीद भी दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को सुना, अभिलेख पर मौजूद कागजातों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भी हाल सर्वे खतियान अनावाद बिहार सरकार के नाम से विवादित जमीन दर्ज है। साथ में प्रतिवादी द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दाखिल किया गया है, जिसमें इस प्रतिवादी के पूर्वज के पक्ष में निर्णय पारित है। वर्तमान वाद में वादी का यह अनुतोष है कि विवादित जमीन आम ग्रामीण जनता के पक्ष में घोषित किया जाये, क्योंकि यह भिंड एवं पोखरा है जो आम ग्रामीण द्वारा उपयोग किया जाता है तथा प्रतिवादी का दखलंदाजी बिल्कुल गैर कानूनी एवं गलत है। इस वाद में हाल सर्वे खतियान के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 09.05.2022 को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बिहार सरकार आवश्यक पक्षकार है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी, ब्रहम्पुर को वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 25 के रूप में दर्ज करें।

वास्ते दिनांक– 13.04.23 अंचलाधिकारी ब्रहम्पुर द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने एवं अन्य प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।